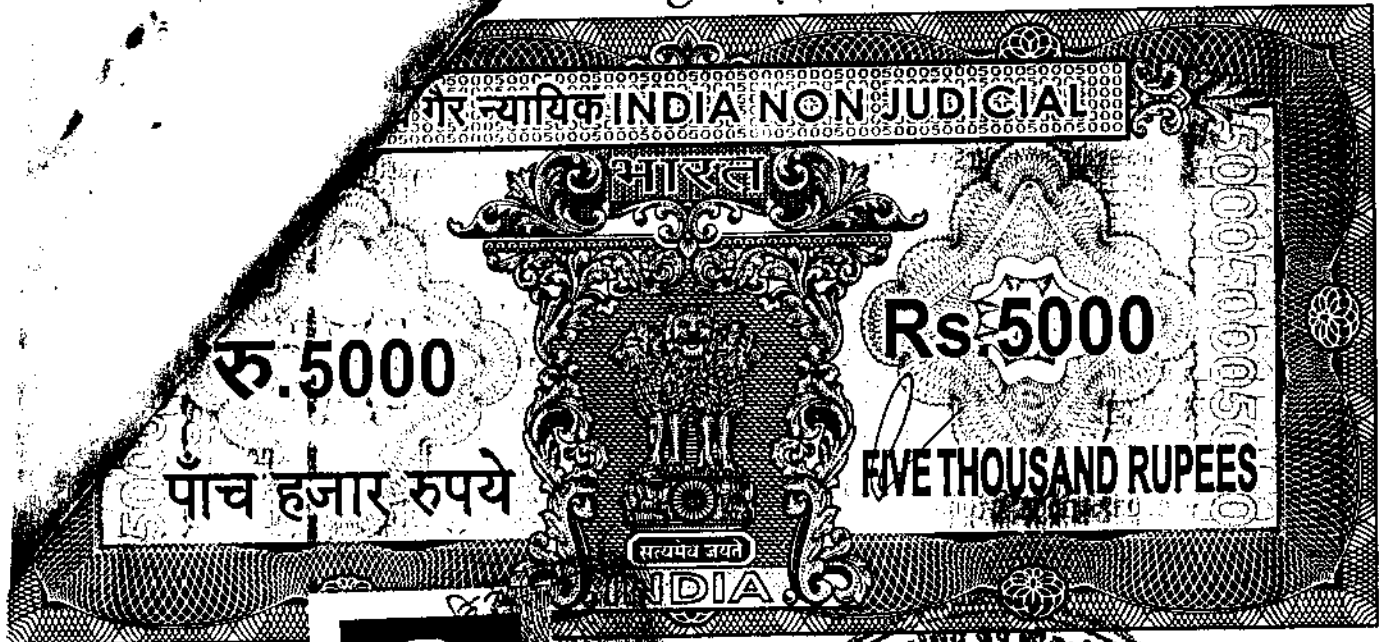


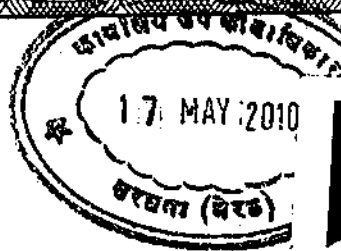
6577



उत्तर प्रदेश UTTAR



1. Sarthana Meera



1. Sarthana Meera

विक्रय पत्र

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण

अनिबन्धक कार्यालय: सरधना (मेरठ)।

1. भूमि का प्रकार (कृषि/आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक/अन्य): कृषि भूमि परन्तु निम्न भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ विक्रय की जा रही है अतः आवासीय निर्धारित दर पर स्टाम्प अदा किया जा रहा है।
2. सर्किल रेट सूची क्रमांक 1
3. सर्किल रेट सूची के अनुसार निर्धारित सर्किल रेट 3000/-रुपये प्रति वर्ग मीटर
4. प्रतिफल की धनराशि अंकन 1,07,640/- रुपये
5. सर्किल रेट अनुसार कीमत अंकन 1,08,000/-रुपये
6. ग्राम: जाटौली परगना दौराला
7. सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं०) भूमि खसरा नम्बर 1570/2 मि०
8. मापन की इकाई (हैक्टेयर/वर्ग मीटर): हैक्टेयर
9. विक्रित भूमि का क्षेत्रफल 0.0036 हैक्टेयर
10. सड़क की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार): लागू नहीं
11. अन्य विवरण (9 मीटर रोड/कार्नर इत्यादि): लागू नहीं
12. सम्पत्ति की अवस्थिति: नगरीय क्षेत्र
13. पेड़ों का मूल्यांकन: लागू नहीं



687/11 780/A
अधिकृत अथवा प्रतीक द्वारा रखा जाने वाला

कम-संख्या 98
प्रमाण प्रमाण करने के लिए

प्रमाण का नाम

कम

प्रमाण प्रमाण

प्रमाण प्रमाण

प्रमाण प्रमाण प्रमाण

प्रमाण के अतिरिक्त प्रमाण दे दिए

प्रमाण

प्रमाण

प्रमाण

प्रमाण का प्रमाण

प्रमाण प्रमाण प्रमाण

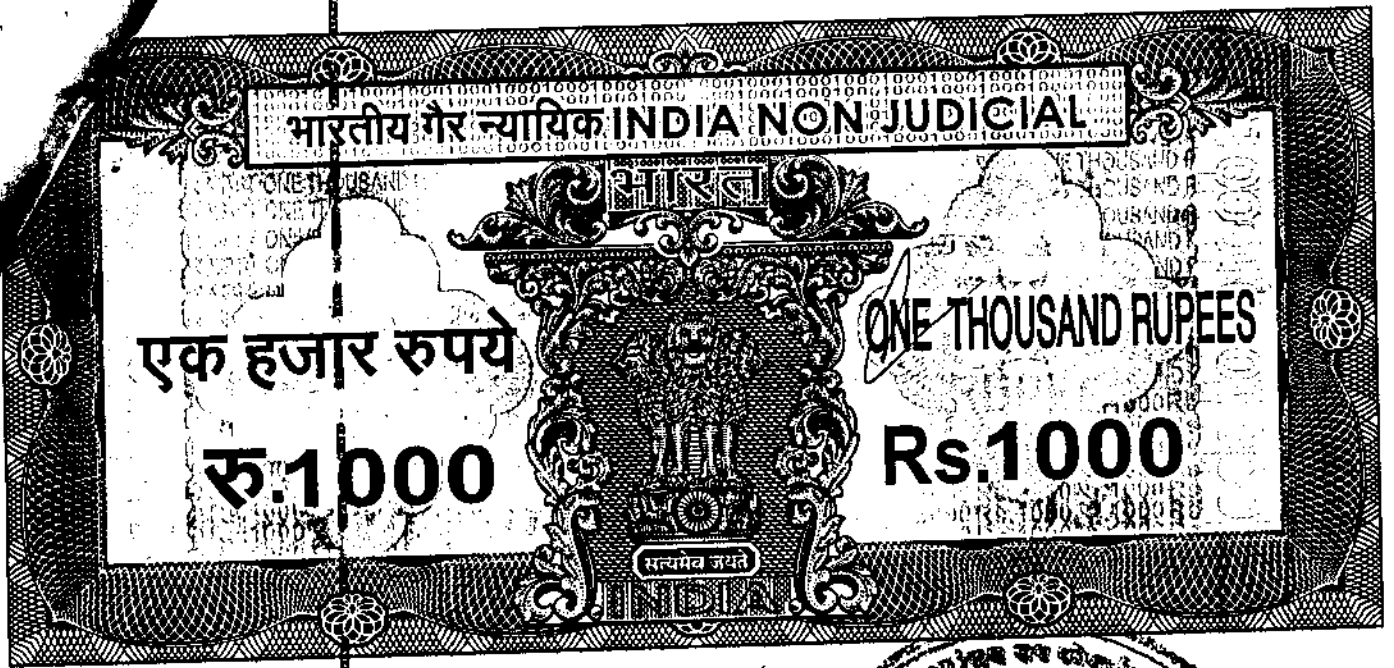
प्रमाण के अतिरिक्त प्रमाण दे दिए

प्रमाण प्रमाण प्रमाण

प्रमाण प्रमाण प्रमाण

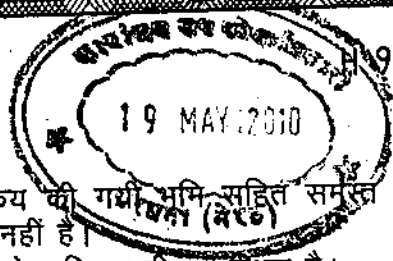
अधिकारी के हस्ताक्षर

REGISTRAR
SARDHANA



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

3



- ❖ केता द्वितीय पक्ष के परिवार के पास कय की गयी भूमि सहित समस्त उत्तर प्रदेश में 12.1/2 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है।
- ❖ विकित भूमि जी0टी0 रोड से 400 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।
- ❖ विकित भूमि पट्टा ग्राम समाज, सीलिंग, भूदान, गर्वनमेन्ट ग्रांट एक्ट के अधीन दिये गये पट्टे की भूमि नहीं है।

हम कि श्रीमती समन्द्री पत्नी श्री गजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम जाटौली, परगना दौराहा तहसील सरधना जिला मेरठ विक्रेतागण/प्रथम पक्ष एवं

मै0 सल हाऊसिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0, 15-यू.जी.एफ., 21-बारह खम्बा रोड, नई दिल्ली, द्वारा अधिकृत श्री राजेन्द्र शर्मा पुत्र श्री सी0बी0 शर्मा निवासी आर जैड 163/1, शादनगर पालम कालोनी, नई दिल्ली-45 केता/द्वितीय पक्ष

इस लेख द्वारा प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त वर्णित संक्रमणीय भूमिधरी के प्रथम पक्ष व्यक्तिगत स्वामी एवं वास्तविक अधिकारी तथा संक्रमणीय भूमिधर है तथा उपरोक्त भूमि प्रथम पक्ष विक्रेता की ओर से आज की तिथि तक प्रत्येक प्रकार के ऋण एवं भार आदि से उन्मुक्त है तथा वैधानिक त्रुटियों एवं दोषों से मुक्त एवं रहित है और प्रथम पक्ष विक्रेता को अपनी उपरोक्त भूमि को विक्रय तथा हस्तान्तरित आदि करने के समस्त स्वामित्व एवं अधिकार प्राप्त हैं। कोई वैधानिक त्रुटि अथवा दोष प्रथम पक्ष के विक्रय अधिकारों में बाधक नहीं है। प्रथम पक्ष ने उपरोक्त भूमि को किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था में बन्धक नहीं किया है तथा वह सभी प्रकार के भारों से मुक्त है। उपरोक्त भूमि प्रथम पक्ष के संक्रमणीय अधिकारों की भूमि है तथा उसका कोई काश्तकार शिकमी या साझी, जैली व काबिज नहीं है तथा मौके पर प्रथम पक्ष की

कि-अ सम-दी



[Handwritten signature]

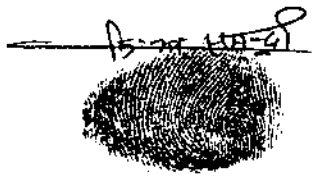




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

4

काशत मौजूद है। उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में आज की तिथि तक कोई कार्यवाही एक्ज्यूजीशन या रिक्यूजीशन आदि की किसी न्यायालय अथवा न्यायाधीश की नहीं है। उपरोक्त भूमि नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम 1976 के प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी रूप में अतिरिक्त घोषित नहीं है और उसके सम्बन्ध में धारा 10 (3) व धारा 10 (5) का कोई आदेश पारित नहीं हुआ है। उपरोक्त भूमि कृषि की भूमि है तथा समस्त राजस्व अभिलेखों में कृषि के रूप में अंकित है। उपरोक्त भूमि का मूल्य अंकन 1,07,640/- रुपये तय है जो अति उचित एवं वर्तमान बाजारी मूल्य के अनुकूल है। इससे अधिक मूल्य मिलने की वर्तमान समय में कोई आशा नहीं है। प्रथम पक्ष अन्य कृषि भूमि क्रय करना चाहते हैं, इसलिये इस भूमि को विक्रय कर देना उचित समझा गया है तथा विक्रय करने से सभी प्रकार से लाभ एवं भलाई दृष्टिगत है। अतः उपरोक्त वर्णित भूमि को उससे सम्बन्धित समस्त अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि सहित, बिना छोड़े हुए किसी स्वत्व एवं अधिकार के चाहे उनका वर्णन इस विक्रय विलेख में किया गया हो अथवा न किया गया हो, स्थिर मस्तिष्क एवं स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में अंकन 1,07,640/- एक लाख सात हजार छः सौ चालीस रुपये विक्रय मूल्य के उपलक्ष्य में हस्ते मै0 अंसल हाऊसिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0, 15-यू.जी.एफ., 21-बारह खम्बा रोड, नई दिल्ली, द्वारा अधिकृत श्री राजेन्द्र शर्मा पुत्र श्री सी0बी0 शर्मा निवासी आर जैड 163/1, शादनगर पालम कालोनी, नई दिल्ली-45 को विक्रय कर दिया और समस्त विक्रय मूल्य निम्नानुसार प्रथम पक्ष विक्रेता ने द्वितीय पक्ष क्रेता से प्राप्त करके विक्रित भूमि को अपने अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि से निकालकर क्रेता के अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि में देकर उनको व्यक्तिगत स्वामी एवं वास्तविक अधिकारी बना दिया। अब प्रथम पक्ष विक्रेता का कोई अधिकार या स्वत्व विक्रित भूमि से सम्बन्धित भविष्य के लिये शेष नहीं रहा और न होगा। वास्तविक परिवर्तन कार्यान्वित हुआ। यह विक्रय पूर्णतया उचित वैधानिक एवं मान्य है तथा प्रयोग होने योग्य है। कब्जा विक्रित भूमि का स्थल





69 21-5-10 510
 66
 21-5-10

विक्रय पत्र
 107,640.00/ 108,000.00 1,080.00 20 1,100.00 1,000
 प्रतिफल मालियत फीस रजिस्ट्री नकल व प्रति शुल्क योग शब्द लगभग
 श्रीमती समन्दी
 पत्नी श्री गजेन्द्र सिंह
 व्यवसाय गृहिणी
 निवासी स्थायी ग्राम जाटोली दौराला सरधना मेरठ
 अस्थायी पता
 ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 21/5/2010 समय 5:14PM
 बजे निबन्धन हेतु पेश किया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्त
 कृष्ण कुमार यादव
 उप निबन्धक सरधना

निष्पादन लेखपत्र वाद गन्तव्य के समान व प्राप्त धनराशि रु. प्रलेखानुसार उक्त
 विक्रेता
 श्रीमती समन्दी
 पत्नी श्री गजेन्द्र सिंह
 पेशा गृहिणी
 निवासी ग्राम जाटोली दौराला सरधना मेरठ

क्रेता
 21/5/2010
 श्री 40 असंल हा0 द्वारा राजेन्द्र शर्मा
 पुत्र श्री सी वी शर्मा
 पेशा व्यापार
 निवासी आर जेड 163/1 शादनगर पालम कालोनी नई
 दिल्ली 45



ने निष्पादन स्वीकार किया।
 जिनकी पहचान श्री प्रेम चन्द
 पुत्र श्री आलम सिंह
 पेशा कृषि
 निवासी ग्राम जाटोली दौराला सरधना मेरठ
 व श्री सुरेन्द्र सिंह
 पुत्र श्री कबूल सिंह
 पेशा कृषि
 निवासी ग्राम जाटोली दौराला सरधना मेरठ
 ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्त
 कृष्ण कुमार यादव
 उप निबन्धक सरधना

21/5/2010

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



सत्यमेव जयते

ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

5

10 N. 10 AF 563280

पर कतई खाली का द्वितीय पक्ष क्रेता को प्रदान कर दिया है तथा क्रेता ने विक्रित भूमि का वास्तविक एवं भौतिक अधिपत्य स्थल पर प्राप्त कर लिया है। क्रेता उपरोक्त भूमि को अपनी इच्छानुसार प्रयोग में ला सकेंगे। किसी को कोई आपत्ति न होगी। क्रेता अपना नाम राजस्व अभिलेखों में बतौर स्वामी अंकित कराने के पूर्ण अधिकारी रहेंगे यदि इस हेतु प्रथम पक्ष विक्रेता की सहमति एवं रजामन्दी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी तो उसको प्रथम पक्ष विक्रेता समयानुसार पूर्ण रूप से पाबन्द रहेंगे। कोई आपत्ति न होगी। यदि आज की तिथि से पूर्व का कोई ड्यूज या लगान विक्रित भूमि पर बकाया पाया जायेगा तो उसको चुकता करने का भार हम विक्रेता के जिम्मे होगा और आज की तिथि के बाद समस्त ड्यूज एवं लगान को स्वयं क्रेता वहन करेंगे। कोई आपत्ति न होगी। अब विक्रेतागण का उक्त खसरा नम्बर में कोई अंश शेष नहीं रहा है। यदि अब अथवा भविष्य में विक्रित भूमि अथवा उसका कोई अंश क्रेता के अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि से निकल जायेगा या विक्रित भूमि पर कोई ऋण या भार आदि पाया जायेगा तो ऐसी प्रत्येक वैधानिक दशा में क्रेता के विक्रय मूल्य अथवा उसका अंश जैसी स्थिति हो, मय हर्जा व खर्चा व भविष्य में लगाई लागत सहित वापिस चुकता करने का भार प्रथम पक्ष विक्रेता तथा उनके उत्तराधिकारी सहित उनकी चल व अचल सम्पत्ति समस्त प्रकार पर रहेगा। कोई आपत्ति न होगी। अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया कि सनद हो और उचित समय पर काम आवे। इति। विवरण प्राप्त विक्रय मूल्य:

1. अंकन 1,07,640/- रुपये चैक नम्बर 261693 दिनांकित 20.05.2010 एक्सिस बैंक लि0, 148-बारह खम्बा रोड, नई दिल्ली

दिनांक: 21.05.2010 (इक्कीस मई सन दो हजार दस ई0)
मसविदा: जिनेन्द्र कुमार जैन, एडवोकेट, सरधना जिला मेरठ

Jinendra Kumar Jain
ADVOCATE
TEHSIL SARDHANA (MEERUT)

र. क. सन्दी

R. K. Sandi
Advocate
Tehsil-Sardhana (Meerut)

21/5/2010
पुत्र मकूल ली ५० जिला मेरठ

21.5.10
 66
 21.8.2010
 101

विक्रेता

Registration No.: 6577

Year: 2,010

Book No.: 1

0101 संमन्त्री

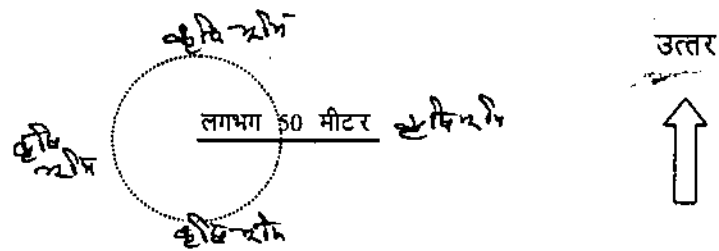
गजेन्द्र सिंह

ग्राम जाटोली दोराला सखना मेरठ

गृहिणी



नजरी नक्शा (Not to be scaled)



विक्रय की गयी भूमि की 50 मीटर की त्रिज्या में स्थित सम्पत्तियों का विवरण

1. नाम सड़क _____
2. आवासीय/वाणिज्यिक, भूमि/भवन/औद्योगिक _____
3. शैक्षिक/धर्मार्थ/स्वास्थ्य केन्द्र _____
4. औद्योगिक संस्थान/कोल्ड स्टोरेज _____
5. गैस गोदाम/पेट्रोल पम्प/बस अड्डा _____
6. होटल रेस्टोरेन्ट/मनोरंजन केन्द्र _____
7. सरकारी/अर्द्धसरकारी/निगमित कार्यालय _____
8. अन्य _____

घोषणा— किसी तथ्य को छिपाया नहीं गया है तथा गलत वर्णन अंकित नहीं किया गया है।
उपरोक्त सूचना क्षेत्र की सामान्य जानकारी पर आधारित है।

हस्ताक्षर विक्रेता

निम्न लिखी

हस्ताक्षर क्रेता

क्रेता

Registration No. : 6577

Year : 2,010

Book No. : 1

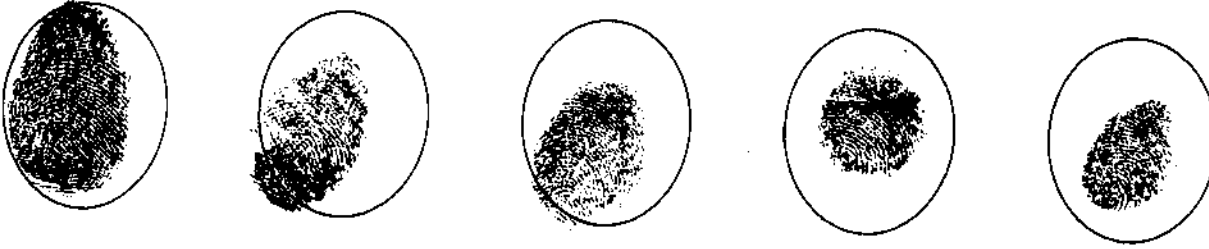
0201 मै0 असंल हा0 द्वारा राजेन्द्र शर्मा
सी बी शर्मा
आर जेड 163/1 शादनगर पालम कालोनी नई दिल्ली 45
व्यापार



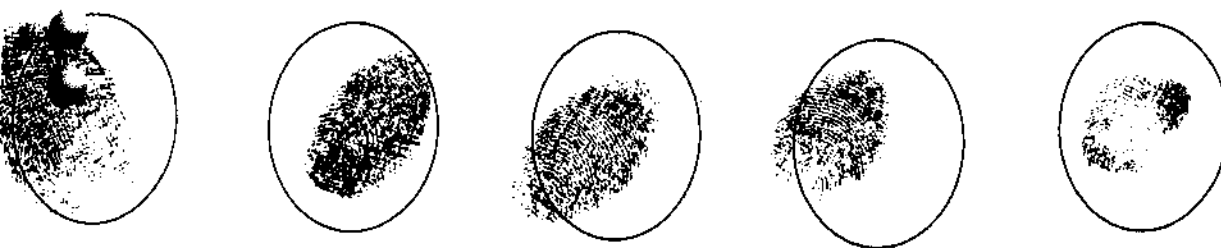
जस्टिशन अधिनियम 1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन
हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता प्रथम पक्ष/द्वितीय पक्ष का नाम व पता
बायें हाथ के अंगुलियों के चिह्न:

श्रीमती समन्दी पत्नी श्री गजेन्द्र सिंह



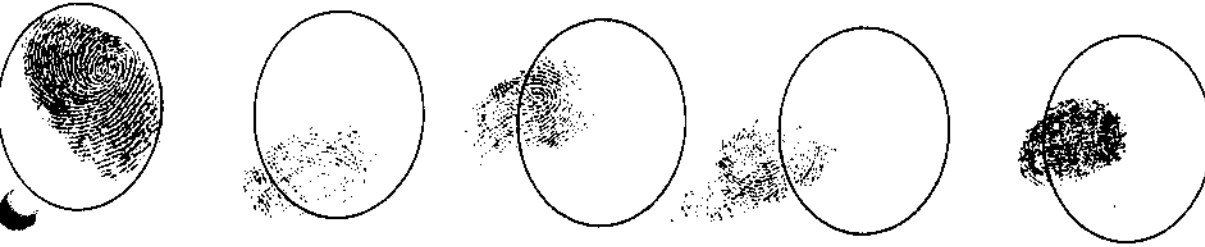
दायें हाथ के अंगुलियों के चिह्न:



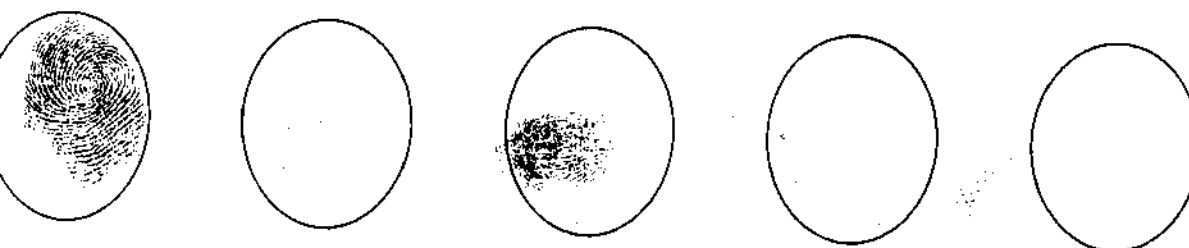
प्रस्तुतकर्ता प्रथम पक्ष/द्वितीय पक्ष का नाम व पता

राजेन्द्र शर्मा पुत्र श्री सी०बी० शर्मा

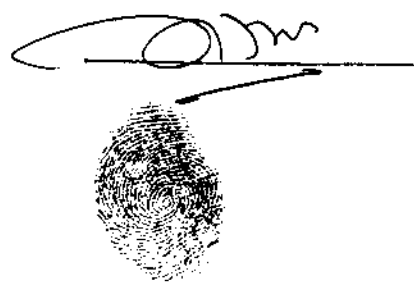
बायें हाथ के अंगुलियों के चिह्न:



दायें हाथ के अंगुलियों के चिह्न:



ने. क. समन्दी





आज दिनांक 21/05/2010 को
वही सं. 1 जिल्द सं. 2801
पृष्ठ सं. 25 से 38 पर कर्णांक 6577
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

कृष्ण कुमार यादव
उप निबन्धक सरधना

21/5/2010